मुद्रकः- श्रीगणेश,मावली

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी मावली,उदयपुर

प्रार्थी ....शंकरलाल.... विपक्षी ....आजाद मोहम्मद....

किस्म मुकदमा ....251 'क' RT Act....पत्रावली संख्या ....127/23.... सन् ....

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की
	29/07/25 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा उपस्थित होकर उक्त प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहकर प्रकरण को इसी स्तर पर विड्रो किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र विड्रो पर सुना गया। जिसे अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी द्वारा सुन समझकर सही होना स्वीकार किया। प्रार्थी की पहचान उनके अधिवक्ता द्वारा की गई। चूंकि अधिवक्ता प्रार्थी मय स्वयं प्रार्थी अब इस प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं तथा प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर विड्रो कर खारिज करवाना चाहते है। ऐसे में उक्त प्रार्थना पत्र को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 251 'क' RT Act का इसी स्तर पर विड्रो फरमाया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) मावली • जिला-उदयपुर (राज.) सहायक कलक्टर (SDO) मावली	मैं प्रार्थी अब उक्त प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं चाहता हूं। अतः उक्त प्रकरण इसी स्टेज पर विड्रो किया जावे (प्रार्थी) निदेशानुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.08.22 16:59:31 IST
Reason: SelfAttested